वर्ष 2003-2004 के दौरान निजी संस्थानों/संगठनों/व्यक्तियों को अनुमोदित 5 लाख रुपए (आवर्ती) अथवा 10 लाख रुपए (अनावर्ती) से अधिक के सहायता अनुदान को दर्शाने वाला विवरण STATEMENT SHOWING GRANTS-IN-AID EXCEEDING RS. 5 LAKHS (RECURRING) OR 10 LAKHS (NON-RECURRING) SANCTIONED

परिशिष्ट IX-ञ Appendix IX-J

TO PRIVATE INSTITUTIONS/ORGANISATIONS/INDIVIDUALS DURING THE YEAR 2003-2004

(बजट परिपत्र 2005-06 का पैरा 6.6) (paragraph 6.6 of Budget Circular 2005-06)

(हजार रुपए) (In thousands of Rupees)

संस्था/संगठन/व्यक्ति का नाम	Name of the institution/ organisation/individual	अनुदान दाता मंत्रालय/विभाग	Ministry/Department giving the Grant	आवर्ती Recurring	अनावर्ती Non-recurring	अनुदान का उद्देश्य	Purpose of the Grant
	1		2	3	4		5
मांग सं. 32-आर्थिक कार्य	ि विभाग		Demand NO. 32-Department of Economic Affairs				
1. भारतीय निवेश केन्द्र	Indian Investment Centr	e वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग	Ministry of Finance, Department of Economic Affairs	2,25,00		अनिवासी भारतीयों के संबंध में सहयोग और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से अनिवासी भारतीयों के निवेश से संबंधित सरकार की नीति का प्रचार करना	To publicise Govt. Policy on NRI Investment through Collaboration and Joint Ventures in respect of NRI
2. अन्य संस्थाएं	Other Institutions	- तदैव -	-Do-		3,29,43	आर्थिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और मंत्रालय के लिए विशिष्ट अध्ययन परियोजना शुरू करने के लिए निधिपोषण/अनुदान	Funding/Grants for furtherance of Economic Research and undertaking specific Studies/Project for the Ministry.